30-04-24 पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष अधि० उप० वास्ते बहस प्रा० पत्र पत्रावली दिनांक 14-05-24 को पेश हो ।

14-05-24 पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष अधिवक्ता उप० बहस हेतु समय उभयपक्ष चाहा गया पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11-06-2025 को पेश हो ।

11-06-25 पत्रावली पेश हुई व कुलाय उपस्थित बहस हेतु समय चाहा गया पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25-06-2025 को पेश हो ।

25-06-25 पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उपस्थित प्रार्थना पत्र बहस उभयपक्ष सुनी । पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 04-07-2025 को पेश हो ।

04-07-2025 पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई । उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित । पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिका[री]
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 12/2023
दायरा दिनांक 21.03.2023

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

1. राधाकिशन आ0 रामनाथ जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. बृजमोहन आ0 रामनाथ जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मूलचंद आ0 कन्हैया लाल जाति महाजन निवासी म.नं. 318 ए0 श्रीनाथ पुरम ए0 इन्जीनियरिंग कॉलेज, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
2. कृष्णचन्द आ0 भीमराज जाति रेगर निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. राज0 सरकार जर्ये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी, राजस्थान।
4. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट
वास्ते अस्थाई निषोधाज्ञा

अधिवक्ताः– 1. श्री सुरेश कुमार वर्मा (अधिवक्ता प्रार्थिगण)
2. श्री बालालाल बीडा (अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1)
अप्रार्थी सं 2 लगायत 5 अनुपस्थित

दिनांकः–04.07.2024

निर्णय

प्रार्थिगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पेश कर कथन किया प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान कि खेवट खतौनी संख्या नई 31 पुरानी 23 की कृषि भूमि खसरा संख्या 692 रकबा 0.55है0 स्थित है, जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं 2 का नाम दर्ज चला आ रहा है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है। वाद विषयक आराजी के बन्दोबस्त सन् 1995 से 2015 के पूर्व ख.सं 384 मिन रकबा 3 बीघा 12 विस्वा थे जो उबड़ खाबड़ एवं बंजड़ अवस्था में होने से वादीगण के पिता रामनाथ जी ने उक्ता आराजी को कृषि योग्य बनाने में काफी रकम खर्च की गई और कृषि योग्य बनाया। इस कारण प्रतिवादी सं 5 एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा भू–राजस्व अधिनियम के तहत वाद विषयक आराजी की ख.सं टीप में वादीगण के पिता रामनाथ आ0 भूरा के नाम की जाकर नियमानुसार लगान का 50 गुना पेनेल्टी का भुगतान प्राप्त किया। इस प्रकार आज से

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

विस्वा थे जो उबड़ खाबड़ एवं बंजड़ अवस्था में होने के कारण प्रार्थीगण के

50–60 वर्षों से वादीगण के पिता रामनाथ आ0 भूरा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। पिता की मृत्यु के पश्चात् वादीगण का कब्जा काश्त नियमित एवं निर्बाध रूप से शान्ति पूर्ण तरीके से चला आ रहा है। उक्त वाद विषयक आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में सिवायचक के रूप में दर्ज होने का नाजायज रूप से फायदा उठाकर प्रतिवादी सं 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके उक्त भूमि को कागजी रूप सं आवंटन करवा लिया जबकि प्रतिवादी सं 1 को आवंटन करने से पूर्व वादीगण के पिता को विधिवत रूप से बेदखल नहीं किया गया है एवं न कब्जा सुपूर्द करने की कोई कार्यवाही राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई है। कब्जा आवंटन की पालना में सूपुर्द नहीं करने से आवंटन प्रारम्भ से शून्य एवं प्रभावहीन है। आवंटन के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में किए गए इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य एवं प्रभावहीन है। वाद विषय आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं 2 के खाते मे दर्ज है लेकिन इस आराजी पर अप्रार्थी सं 2 का कभी भी किसी भी रूप में कब्जा काश्त नहीं रहा है और नही वर्तमान में है। अप्रार्थी सं 2 के खातेदारी अधिकार 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त में नहीं रहने से उसके हक अधिकार धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्णतया कानूनी रूप से विलोपित एवं खातेदारी अधिकार प्रार्थिगण में निहित हो गये। प्रार्थिगण काबिज काश्त होने की पूर्ण जानकारी अप्रार्थी सं 2 को होने के कारण प्रार्थिगण से कब्जा लेने कि मियाद 27 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत् पूर्णतया समाप्त हो गये है। प्रार्थिगण द्वारा अप्रार्थिगण से वाद विषयक आराजी को उनके खाते लगाने का मौखिक रूप से निवेदन करते रहे लेकिन वर्तमान समय में कृषि भूमि की कीमतों में वृद्धि होने से अप्रार्थी सं 2 के मन में बदयान्ति आ गई जिसके कारण अप्रार्थी सं 2 जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में वादी विषयक आराजी पर आया और कब्जा करने का नाजायज प्रयास किया और धमकी दी गई कि वह प्रार्थिगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करके रहन बय करेगा यही वाद कारण है जो नियमित रूप से पैदा हो रहा है। अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं 2,4,5 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी सं 2 वादी विषयक आराजी से प्रार्थीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे, जबरन कब्जा नहीं करे एवं प्रार्थिगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में कोई अवसेध पैदा नहीं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2,3 लगायत 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लायी गई। अप्रार्थी सं 1 मूलचंद आ0 कन्हैयालाल द्वारा इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद विषयक कृषि भूमि पर से रामनाथ जी को बेदखल कर प्रतिवादी संख्या 1 को राजस्व अधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। उक्त कृषि भूमि पर आराजी सिवायचक होने के समय से आज तक रामनाथ जी व उनके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

पत्रावली पर विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना में अंकित बिन्दुओं का दौहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्राथिगण अप्रार्थी सं 2,4,5 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कोई दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें, जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावें। अप्रार्थी सं 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में अनापत्ति जाहिर की। बहस समाहत पत्रावली की गयी।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बसह को ध्यानपूर्वक सुना व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज, जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2072–75 में कृषि भूमि वाके ग्राम पापड़ी में खसरां सं 692 रकबा 0.55 हैक्टयर पर अप्रार्थी सं 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। परिवर्तनशील जमाबंदी सम्वत 2038 तथा सम्वत् 2039 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 384/2 मीन में बतौर कृषक रामनाथ वल्द भूरा जाति मीना का नाम अंकित है। खसरा मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 1अप्रेल 1995 से 31 मार्च 2015 में 384 मिन रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा से नया खसरा संख्या 692 रकबा 0.55है0 बना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 09.05.2006 की नकल में जाहिर किया गया है कि आवेदक कृष्णचंद आ0 भीमराज का खसरा संख्या 692 पर कब्जा नहीं होने से सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सकता है। खसरा गिरदावरी चतुर्वषीय सम्वत् 2026,2027,2028,2029 की प्रतिलिपी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद विषयक आवंटन से पूर्व सिवायचक भूमि पर रामनाथ आ0 भूरा जाति मीना काबिज काश्त रहे है। अप्रार्थी सं 1 ने भी जवाब में यह अंकित किया है कि वाद विषयक कृषि भूमि पर से रामनाथ जी को बेदखल कर प्रतिवादी संख्या 1 को राजस्व अधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। उक्त कृषि भूमि पर आराजी सिवायचक होने के समय से आज तक रामनाथ जी व उनके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी सं 2 ने अनुपस्थित रहकर अपने पक्ष में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 का मौके पर भौतिक कब्जा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थिगण के पक्ष में प्रमाणित होना प्रतीत होता है। यदि अप्रार्थी सं 2 द्वारा उक्त वाद विषयक भूमि दोराने वाद बैचान कर देता है तो प्रार्थिगण को को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना के मध्य नजर हमारे मत में प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी सं 2 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह मूल वाद के निस्तारण तक वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 692 रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिंति बनाये रखें। यथास्थिति में परिवर्तन न तो स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 04–07–2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)